विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2014-2015 के लिए उत्पादकता असंबंध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना

अधोख्तापी री केन्द्र सरकार के समूह "ए" तथा "ब" कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी आरजेपत्रित कर्मचारियों जो उत्पादकता से संबंधित किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2014-2015 के लिए 30 दिन की परिलिखियों के बादबाद उत्पादकता असंबंध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की सूचना देने का निर्देश हुआ है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस की भुगतान की गणना, 3500/- रुपए की मासिक परिलिखियों को अन्तर्गत सीमा मानने हुए की जाएगी जैसे कि अब तक की जाती थी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्थव्यवस्था एवं समाज बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। ये आदेश देश राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो परिलिखियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. यह लाभ मिमलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:

(i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.03.2015 को सेवा में थे और जिनकीं नौकरी वर्ष 2014-2015 के दौरान नृत्य कर चुकीं थीं। यह दावा फॉर्म पर कर्मचारी से लेकर एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुसार भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णकलित) के संदर्भ में की जाएगी।

(ii) उत्पादकता असंबंध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना ऑफिस परिलिखियों/परिकल्पन सीमा, इसमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए उत्पादकता असंबंध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की ओसत परिलिखियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा। तदावशा इसका गुणा बोनस लिए जाने वाले दिनों की संख्या से किया जाएगा। उदाहरण के लिए, राज्य सीमा 3500/- रुपए मासिक मानते हुए (जहाँ वास्तविक औसत परिलिखियों 3500/- रुपए से ज्यादा हैं) 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबंध बोनस (तदर्थ बोनस) 3500 x 30/30.4 = 3453.95/- रुपए (3454/- रुपए में पूर्णकलित) होगा।

...2/-

अमला 9/43
(iii) ऐसे दिहाड़े मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य-दिवसीय समाह बाले कार्यलयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय समाह बाले कार्यलयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्तराक्ता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के पात्र होंगे। उन्हें देख उत्तराक्ता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 1200 रुपए x 30/30.4 अर्थात 1184.21/- रुपए (1184/- रुपए में पूर्णकित) होगा। ऐसे मामलों में जहाँ वातावरिक परिलक्षित 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, तब इस प्रकार की गणना वातावरिक मासिक परिलक्षियों के आधार पर की जाएगी।

(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णकित में किए जाएंगे।

(v) इस मंत्रालय के, समय-समय पर यथा-संशोधित, दिनांक 04.10.1988 के कार्यलय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-ई.को॰आर/88 के तहत जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे।

3. इस पर होने वाला खर्च उन संबंधित शीर्षक के नामे डाला जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते नामे डाले जाते हैं।

4. उत्तराक्ता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है।

5. जहां तक भारतीय लेखापीक्रम तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, वे आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापीक्रम के प्रारंभ से जारी किए गए हैं।

अन्तर्गत म/विंक
(अमर नाथ सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

यदि
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार

प्रतिलिपि नियंत्रक एवं महालेखापीक्रम, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार

प्रेषित (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।